

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.61
TO BE ANSWERED ON 29th NOVEMBER, 2021

DEATHS DUE TO COVID-19 IN THE ARMED FORCES

61 DR. SANTANU SEN:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) the details of the total number of defence personnel, their family members and civilian staff who got COVID-19 positive since its outbreak;
- (b) the details of total number of defence personnel, their family members and civilian staff who lost their life due to COVID-19 since its outbreak;
- (c) whether Government has any plan to give special compensation for deaths occurring due to COVID-19 to the family members of armed forces; and
- (d) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
SHRI AJAY BHATT

(a) The number of COVID-19 cases of defence personnel, their family members and civilian staff since the outbreak of pandemic is as follows:

	Serving Personnel	Family members of Serving Personnel	Defence civilian staff
Army	45576	13010	1983*
Air Force	14022	7380	1206
Navy	7747	2211	3006

* Total COVID-19 cases of civilians admitted in Military Hospitals.

...2/-

: 2 :

(b) The number of death cases of defence personnel, their family members and civilian staff due to COVID-19 since the outbreak of pandemic is as follows:

	Serving Personnel	Family members of Serving Personnel	Defence civilian staff
Army	137	1311	276*
Air Force	49	114	41
Navy	04	66	96

* Total death cases of civilians in Military Hospitals due to COVID-19.

(c) & (d): As per extant Rules, no special compensation for deaths occurring due to infectious disease is provided to Armed Forces personnel by the Ministry of Defence, while they are in service. However, all such cases of death while in service are provided terminal benefits.

In addition, the National Disaster Management Authority (NDMA) has issued guidelines on the 11th September, 2021 for grant of the ex-gratia assistance of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) per deceased person, including those involved in the relief operations or associated in the preparedness activities, subject to cause of death being certified as COVID-19, as per the 'Guidelines for Official Document for COVID-19 Death' jointly issued by Ministry of Health and Family Welfare and Indian Council of Medical Research on the 3rd September, 2021.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्यकार्यविभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 61
29 नवम्बर, 2021को उत्तर के लिए

सशस्त्र बलों में कोविड-19 के कारण हुई मौतें

61. डा. सांतनु सेन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) कोविड-19 के फैलने के बाद से इससे कुल कितने रक्षा कर्मी, उनके परिवार के सदस्य और असैनिक कर्मचारी संक्रमित हुए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) कोविड-19 के फैलने के बाद से कुल कितने रक्षा कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों और असैनिक कर्मचारियों ने इसके कारण अपना जीवन गवाँ दिया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की कोविड-19 के कारण हो रही मौतों के लिए सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों को विशेष मुआवजा प्रदान करने की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजयभट्ट)

(क): महामारी के फैलने के बाद से रक्षा कर्मी, उनके परिवार के सदस्य और असैनिक कर्मचारी के कोविड-19 मामलों की संख्या निम्नानुसार है :-

	सेवारत कार्मिक	सेवारत कार्मिकों के परिवार के सदस्य	रक्षा असैनिक कर्मचारी
सेना	45576	13010	1983*
वायु सेना	14022	7380	1206
नौसेना	7747	2211	3006

* सैन्य अस्पतालों में भर्ती किए गए असैनिकों के कुल कोविड-19 मामले ।

(ख): महामारी के फैलने के बाद से रक्षा कर्मी, उनके परिवार के सदस्य और असैनिक कर्मचारी के कोविड-19 से हुई मृत्यु के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

	सेवारत कार्मिक	सेवारत कार्मिकों के परिवार के सदस्य	रक्षा असैनिक कर्मचारी
सेना	137	1311	276*
वायु सेना	49	114	41
नौसेना	04	66	96

* कोविड-19 के कारण सैन्य अस्पतालों में असैनिकों की हुई मृत्यु के कुल मामलों ।

(ग) और (घ): मौजूदा नियमों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिकों को सेवा के दौरान संक्रामक बीमारी से हुई मृत्यु के लिए कोई विशेष क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है । हालांकि, सेवा के दौरान हुई मृत्यु के ऐसे सभी मामलों में सेवांत हित लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 11 सितम्बर, 2021 को बचाव कार्यक्रमों अथवा तैयारी गतिविधियों से जुड़े संबंधितों सहित प्रत्येक मृतक व्यक्ति को 50,000/- रु. (पचास हजार रुपए मात्र) के अनुग्रहसहायता की मंजूरी के दिशानिर्देश जारी किए हैं जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को संयुक्तरूप से जारी किए गए 'कोविड-19 मृत्यु के लिए सरकारी दस्तावेज के दिशानिर्देश' के अनुसार मृत्यु के कारण को कोविड-19 प्रमाणित किए जाने के अध्यक्षीन है ।
